न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2013/00281 (140/2013) 223 आरटीएक्ट

1. बलवान
2. रामनिवास
3. जयपाल
4. सुनीता
5. कौशिल्या
6. सावित्री

पुत्र स्व0 श्री लिछमण पुत्र दूदा जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

7. चन्द्रावली पत्नी स्व0 श्री लिछमण पुत्र दूदा जाति जाट निवासी भिरानी तहसील व जिला हनुमानगढ —अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2009 उपखण्ड अधिकारी भादरा प्रकरण संख्या 106/1993 पुराना (नया 2016/2003) बअनवानी लिछमण बनाम सरकार

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक:–24.04.2019

1. अपीलाण्ट के पिता/पति ने उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष एक अर्जीदावा इस्तकरारहक का प्रस्तुत किया। अर्जीदावा में रोही मोजा भिरानी की 14 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार की घोषणा का अनुतोष मांगा। उपखण्ड अधिकरी भादरा ने वाद वादी खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने गैर खातेदारी से खातेदारी करवाने के लिए दावा पेश किया जिसे बिना किसी आधार के खारिज कर दिया गया है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट के पूर्वजों एवं उसके बाद अपीलाण्ट का शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ व पुराने कब्जे के आधार पर वादी को वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हकूक हासिल हो चुके हैं। राजस्व विभाग ने आराजी को वादी अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

को खातेदारी में दर्ज करने के स्थान पर इसे सिवाय चक रकबाराज दर्ज कर दिया है, जबकि उक्त भूमि अपीलाण्ट के पूर्वजों के समय से गैर खातेदारी दर्ज चली आ रही है। 10 वर्ष से अधिक समय होने से वादी को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार मिल चुके हैं। भादरा का पुराना रिकार्ड जल चुका है। मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा डिक्री किया जा सकता है। कोलोनाईजेशन क्षेत्र में भी खातेदारी दी जा सकती है और लम्बा कब्जा काश्त हो तो भी खातेदारी दी जा सकती है। यह फाईण्डिंग की उपनिवेशन क्षेत्र में खातेदारी के लिए वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है कतई विधि विरूद्ध है। विचारण न्यायालय ने कानूनी बातों को नजर अन्दाज कर विधि की अवहेलना में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। लिछमण वल्द दूदाराम का दिनांक 29.06.2012 को देहान्त हो चुका था। इसलिए अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान अपीलाण्ट को नहीं हो पाया था। ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी गई है। डिले कन्डोन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी को उपनिवेशन क्षेत्र में है। ग्राम भिरानी रि–फीटिंग से प्रभावित है व कीमतन आवंटन का प्रावधान होने एवं पुराने व नये खसरा नम्बरान का मुकाबला सिद्ध नही होने के कारण अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायलय द्वारा खारिज किया गया है। रकबा आराजी राज है। भूमि पूर्वजों की होने एवं उनके नाम होने का कोई दस्तावेज अपीलाण्ट ने पेश नहीं किया है। भूमि कभी भी अपीलाण्ट को आवंटित नहीं की गई। बिना आवंटन के खातेदारी नहीं दी जा सकती है। अपीलाण्ट एक अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।
6. प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं पत्रावली में अंकित तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित दस्तावेजात होने के कारण एवं अपील के निस्तारण में अहम दस्तावेजात होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रमाणित दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता है।
8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत 2017 प्रदर्श पी–3 में खसरा नं. 681 वादी व उसके पिता के भाई पतू का नाम बतौर काश्तकार दर्ज है। प्रदर्श पी–4 खसरा गिरदावरी संवत 2031 में मु. नं. 1 में पतराम व लिछमण (वादी) के नाम गिरदावरी दर्ज है अर्थात पुराना खसरा नं. 681 व नया खसरा नं. (मु.नं.) 1 पर वादी का पूर्व में कब्जा काश्त होना प्रकट होता है। लेकिन मिलान क्षेत्रफल के अभाव में यह स्पष्ट नहीं होता है कि पुराना खसरा नं. 681 का नया मु. नं. 1 ही बना था। इसके अलावा पुराने खसरा नं. का रकबा 14.13 बीघा तथा नया मु. का रकबा 14 बीघा है। इस प्रकार दोनों खसरा नम्बरान के रकबे में अन्तर को भी किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकार से वादी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि ग्राम भिरानी में स्थित है को कमाण्ड क्षेत्र से बाहर होना बताया है जबकि राजस्थान कॉलोनाईजेशन (भाखरा प्रोजेक्ट—राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 1 (2) में विहित सेड्यूल में ग्राम भिरानी का नाम दर्ज होना अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट ने उसके विपरीत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में नियम 1955 के नियमों के अनुसार प्रोजेक्ट एरिया में उक्त नियमों के लागू होने के बाद खातेदारी प्राप्त करने का एक मात्र विकल्प उक्त नियमों के तहत उसे कीमतन आवंटन ही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.01.2009 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24/4/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)